न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 53/2021

प्रार्थी–	***बनाम***	**अप्रार्थी–**
राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना आजीटी रावलीनाडी नगर जिला बाड़मेर		श्री जसाराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी पुलिस थाना आरजीटी रावलीनाडी नगर, जिला बाड़मेर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955</u>

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री उगराराम विश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 14.01.2026

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 18.09.2021 के बमुकाम पुलिस थाना आरजीटी रावलीनाडी नगर पर श्री शुभकरण पुलिस उप अधीक्षक वृत गुड़ामालानी ने थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट मय मुर्तिबा फर्दात पेश कर श्री ओमप्रकाश उनि थानाधिकारी पुलिस थाना आरजीटी रावलीनाडी मय जाब्ता के थाना से रवाना होकर मेगा हाईवे पर अवैध बायोडीजल विक्रय के संबंध में प्राप्त शिकायतों के मद्देनजर गश्त जालीखेड़ा, खुड़ाला, भाटाला मे होटलों–ढाबों पर ग्राम भाटाला से नेहरों की ढाणी जाने वाली रोड़ पर पहुचे तो एक बोलेरो पीकअप गाडी में रखी प्लास्टिक की टंकिया में से एक नोजल द्वारा एक ट्रक गाडी में डीजल भरवा रहा था। हमराह जाब्ता मे [illegible] 1431 द्वारा जसाराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी नेहरों [illegible] जिला बाड़मेर मय पीकअप गाडी नम्बर आरजे 19 [illegible] की टंकिया जब्त सरकार की। जिसमें दो प्लास्टिक टंकिया [illegible] कुल 1600 लीटर डी[illegible]मा पेट्रोलियम पदार्थ जैसा भरा पाया गया तथा बोलरो पीकअप वाहन के कोई कागजात, न ही बोलेरो पीकअप में भरे हुए डीजल नुमा पदार्थ का कोई

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:52:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बिल / बिल्टी व लोईसेंस इत्यादि मिले। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम जसाराम पुत्र मुकनाराम द्वारा बिना लाईसेंस / परमिट के उक्त डीजल अपने कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा विक्रय करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थी जसाराम के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 1600 लीटर बायोडीजल पदार्थ व वाहन बोलेरो पिकअप नंबर आरजे 19 जीफ 4028 मय दो प्लास्टिक टंकिया का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त डीजल प्रार्थी ने पेट्रोल पम्प से खरीद कर अपनी गाडी व ट्रेक्टर मे काम लेने हेतु रखा था। अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध ही गठित नहीं होता है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा CRLMP No. 4279 / 2018 बुधाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदेश दिनांक 03.01.2019 को अभिनिर्धारित किया गया है कि 2500 लीटर तक डीजल को रखा जाना कोई अपराध नहीं है। अप्रार्थी के विरूद्ध उक्त परिवाद निरर्थक तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जावे तथा प्रकरण में बायोडीजल पदार्थ व वाहन बोलेरो पिकअप नंबर आरजे 19 जीफ 4028 मय दो प्लास्टिक टंकिया को प्रार्थी स्वामी होने से कब्जे में रखने का अधिकारी है।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी श्री जसाराम पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी नेहरों की ढाणी जिला बाड़मेर को अवैध रूप से डीजल पदार्थ विक्रय करते हुए पाया गया तथा मौके से बायोडीजल पदार्थ व वाहन बोलेरो पिकअप नंबर आरजे 19 जीफ 4028 मय दो प्लास्टिक टंकिया में भरे पदार्थ के बारे में पूछने पर जसाराम ने डीजल होना बताया। प्लास्टिक ड्रमों की जांच करने पर कुल 1600 लीटर डीजल भरा होना पाया गया। उक्त शख्श से डीजल [illegible] कब्जा में रखने व बेचान करने बाबत वैध अनुज्ञापत्र भी नहीं होना पाया गया। इसके जवाब में अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि उक्त डीजल प्रार्थी ने पेट्रोल पम्प से खरीद कर अपनी गाडी व ट्रेक्टर मे काम लेने हेतु रखा था। अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध ही गठित नहीं होता है क्योंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा CRLMP No.

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:52:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

4279/2018 बुधाराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान आदेश दिनांक 03.01.2019 को अभिनिर्धारित किया गया है कि 2500 लीटर तक डीजल को रखा जाना कोई अपराध नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के कब्जे से बरामद किये गये डीजल पदार्थ की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर होने से अप्रार्थी इतना डीजल पदार्थ अपने कब्जे में रखने का अधिकारी होने से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अभिमत के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह परिवाद चलने योग्य होना प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे में रखे गये डीजल पदार्थ की मात्रा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना नहीं पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हों। ऐसे में अप्रार्थी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तथा तथ्य की भूल के फलस्वरूप दर्ज कराया गया यह प्रकरण काबिल खारिज है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में सीजशुदा उक्त 1600 लीटर बायोडीजल पदार्थ व वाहन बोलेरो पिकअप नंबर आरजे 19 जीफ 4028 मय दो प्लास्टिक टंकिया को कब्जा सरकार से एतद्द्वारा मुक्त किया जाता है। थानाधिकारी पुलिस थाना आरजीटी रावलीनाडी नगर जिला बाड़मेर को निर्देशित किया जाता हैं कि प्रकरण में सीजशुदा वाहन बालेरो पिकअप एवं बायोडीजल पदार्थ मय प्लास्टिक टंकिया अप्रार्थी को सुपुर्द करें।

5. आदेश आज दिनांक 14.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर

जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 12:52:06 IST
Reason: SelfAttested